भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †3186
07 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास पहल

†3186. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) किया जा रहा है; और

(ख) इन पहलों के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या कितनी है और इन समुदायों के लिए उनके अनुमानित परिणाम और लाभ क्या हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) स्वयं अनुसंधान और विकास कार्य नहीं करता है। तथापि, एमओएफपीआई एक अनुसंधान और विकास योजना कार्यान्वित कर रहा है, जो अम्ब्रैला योजना अर्थात् प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मानव संसाधन और संस्थान योजना का एक भाग है। इस योजना के तहत, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मांग आधारित अनुसंधान और विकास कार्य को बढ़ावा देने और कार्य करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, आईआईटी, केंद्र /राज्य सरकार के संस्थानों, सरकारी वित्त पोषित संगठनों, आर एंड डी प्रयोगशालाओं और सीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र की आर एंड डी इकाइयों को अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य उत्पाद और प्रक्रिया विकास, कुशल प्रौद्योगिकियों, बेहतर पैकेजिंग, साथ ही विभिन्न कारकों जैसे कि योजक, रंग एजेंट, संरक्षक, कीटनाशक अवशेष, रासायनिक संदूषक, सूक्ष्मजीवविज्ञानी संदूषक और अनुमत सीमा में जैविक रूप से पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों के मानकीकरण के साथ-साथ वाणिज्यिक मूल्य सहित मूल्य संवर्धन आदि के संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लाभान्वित करना है।

इस योजना के अंतर्गत, सरकारी संगठनों/संस्थानों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ उपकरणों, उपभोग्य सामग्रियों और अनुसंधान अध्येताओं आदि से संबंधित व्यय की लागत के लिए 100% अनुदान सहायता के लिए पात्र हैं और निजी क्षेत्र में निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों में उपकरणों की लागत का 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 70% अनुदान दिया जाता है। विश्वविद्यालयों, आईआईटी, केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों, और सरकार द्वारा वित्तपोषित संगठनों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में माँग-आधारित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी समुदायों के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) उपलब्ध है। तथापि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार /डिज़ाइन किए गए उत्पादों के लिए दिशानिर्देशों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है ।

(ख): अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत, 2008-09 से अब तक कुल 236 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 225 पूरी हो चुकी हैं और अब तक स्वीकृत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में से कुल 20 पेटेंट दाखिल किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, विकसित उत्पादों, प्रक्रियाओं और उपकरणों/प्रोटोटाइप के लिए 52 नई तकनीकों का व्यावसायीकरण/हस्तांतरण किया गया है।

*****